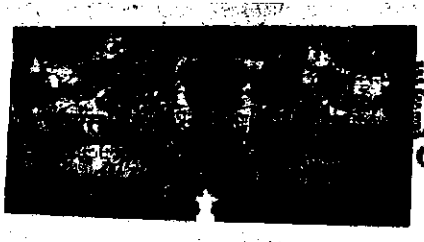

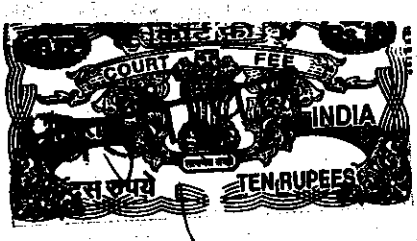

(292)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

पुनरीक्षण याचिका संख्या/- क्र. 1/अपील/टीकमगढ़/भू-रा/2017/2319

1/- महिला श्रीमति तरजूदेवी रैकवार आयु 70 वर्ष बेवा हल्का

2/- कु० अंकित रैकवार वर्ष विवा आयु 19 वर्ष मातास्व०सुध

पुत्री स्व० हल्काई रैकवार निवासीयान पुरानी टेहरी टीकम

तहसील व जिला टीकमगढ़ म०प्र०

3/- महिला श्रीमति सरोज रैकवार आयु 50 वर्ष पुत्री स्व० .

हल्काई पत्नि देवेन्द्र रैकवार निवासी टीकमगढ़ हाल निवासी

लुहारो तहसील मऊरानीपुर जिला झांसी उ० प्र०

4/- महिला आशा रैकवार आयु 45 वर्ष पुत्री स्व० हल्काई प

परम रैकवार निवासी टीकमगढ़ हाल डुमरऊ टीकमगढ़ तहसी

जिला टीकमगढ़ म०प्र० ———————— आवेदकगण

बनाम

1/- महिला कुमकुम रैकवार पुत्री संतोष रैकवार

2/- देवा रैकवार पुत्र स्व० महेश रैकवार अवयस्क द्वारा ब

व संरक्षक माँ महिला कुमकुम देवी रैकवार निवासीयान

मातनमुहल्ला निवाडी तहसील थाना निवाडी जिला टीकमग

म० प्र० ———————— अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा०सं० 1959

प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश दिनांक 21/जून/2017 जो कि अपील

प्रकरण कुमांक 489/अ-6/2014-015 मे न्यायालय अतिरिक्त

कमिश्नर सागर संभाग सागर म०प्र० द्वारा पारित कियागया है ।

Copy received

महोदय,

आवेदकगण अपनी पुनरीक्षण याचिका मे सादर निम्न विनय करती है :-

1/- यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार बताये गये है कि अनावेदकगण ने अधीन

न्यायालय मे एक अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण कुमांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

[illegible]I / निगरानी / [illegible] / मू0रा0 / 2017 / 2319

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-8-2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन आदेशक की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में निष्कर्ष निकाला है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तु अपील सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने के कारण पोषणीय नहीं थी साथ ही प्रस्तुत अपील समय सीमा के बाहर थी जिस पर कोई आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है। इसी कारण अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिसंगत न मानते हुये निरस्त किया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एम0 अली) सदस्य	